

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ.2(1)( )लेखा/नकारा/आईसीडीएस/2001/53701-733 जयपुर, दिनांक: 6-4-18


उपनिदेशक (समस्त)  
बाल विकास परियोजना अधिकारी (समस्त)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
.....

विषय:- अनुपयोगी/नकारा स्टोर्स निस्तारण अभियान

संदर्भ:- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक प.6(1)वित्त/साविलेनि/2005 पार्ट-1  
दिनांक 02.04.2018

सन्दर्भित परिपत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आपके एवं आपके अधीनस्थ समस्त कार्यालयों का समस्त नकारा सामग्री/नकारा वाहनों का नियमानुसार अभियान चलाकर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। निस्तारण की प्रति माह प्रगति एवं नीलामी से प्राप्त राशि की सूचना से निदेशालय को अवगत करावें।


संलग्न - उपरोक्तानुसार।

  
आधुक्त  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, सरकार

क्रमांक:-एफ.2(1)( )लेखा/नकारा/आईसीडीएस/2001/53734-737 जयपुर, दिनांक: 6-4-18

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, वित्त (बजट), राजस्थान सरकार।
2. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (GF & AR), विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी (भण्डार) मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि मुख्यालय में नकारा सामान का नियमानुसार निस्तारण करावें (संलग्न सन्दर्भित परिपत्र)।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (उप निदेशक) मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
वित्तीय सलाहकार